राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर।

क्रमांकःप.1(8)अक्षत कौशल/2009/ 7459-7508 दिनांकः 8-6-2011

समस्त कार्यालयाध्यक्ष, राजस्थान

————————।

विषय : अक्षत कौशल योजना 2009 के संबंध में।

अक्षत कौशल योजना, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत पात्र बेरोज़गार स्नातक आशार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण से लाभान्वित करने के उद्देश्य से उन्हें कौशल विकास वाउचर प्रदान किये जाते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्न दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

1. **कौशल वाउचर :** वर्तमान में योजनान्तर्गत क्रमशः पुरुष आशार्थी को 4800/–, महिला आशार्थी को 6000/– एवं निःशक्तजन आशार्थी को 7200/– के हिसाब से एकजाई कौशल वाउचर दिये जा रहे हैं। उक्त प्रक्रिया को संशोधित कर प्रार्थी को एक के स्थान पर दो वाउचर जारी किये जाने का निर्णय हुआ है। आशार्थी को एकजाई वाउचर जारी न कर एक वाउचर रू. 2300/– का अनिवार्य वाउचर (RS-CIT) कोर्स हेतु एवं शेष देय राशि का अन्य वाउचर मय कोर्स अंकित कर जारी किये जाने हेतु आशार्थी से आवेदन पत्र में आशार्थी द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कोर्स का उल्लेख करवाकर लिया जाये। यदि दोनो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुल्क देय वाउचर राशि से अधिक होता है तो अधिक राशि का वहन आशार्थी को स्वयं करना होगा। इसके लिए आर.के.सी.एल. पृथक पृथक वाउचर मुद्रित करवाकर रोज़गार कार्यालयों को उपलब्ध करवायेगा।
2. रोजगार कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिये जाते है कि वे समय समय पर प्रशिक्षण केन्द्रों के औचक पर्यवेक्षण करें। प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में कोई त्रुटि/ सुझाव, यदि कोई हों, तो वे प्रबंध निदेशक, आर.के.सी.एल., जयपुर के ध्यान में लायेगें एवं प्रति इस निदेशालय को प्रेषित करेंगे।
3. रोज़गार कार्यालयों के सूचना पट्ट पर योजना को प्रदर्शित किया जाये एवं कार्यालय में आने वाले आशार्थियों को मार्गदर्शन भी दिया जाये। इसके अतिरिक्त रोज़गार कार्यालयों द्वारा आयोजित रोज़गार सहायता शिविरों एवं अन्य कैंपों में भी योजना की जानकारी प्रदान की जाये।

निदेशक

क्रमांकःप.1(8)अक्षत कौशल/2009/ 7509-7518 दिनांकः 8-6-2011

प्रतिलिपि निम्न को :–

1- प्रबंध निदेशक, आर.के.सी.एल., झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर को उनके पत्रांक आर–11/43 दिनांक 11.5.2011 के सन्दर्भ में प्रेषित कर निवेदन है कि पृथक पृथक वाउचर मुद्रित करवाकर रोज़गार कार्यालयों को उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
2- समस्त अनुभागाधिकारी, रोज़गार सेवा निदेशालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर) निदेशालय को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त निर्देश को वेब-साईट पर डालने का

निदेशक